घर घर औषधि योजना

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर–302004

क्रमांकः एफ. 14(PWD)2021/एफसीए/प्रमुवसं./ 7683 दिनांक 04/10/2023

मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव एवं
क्षेत्र निदेशक रणथम्भौर बाघ परियोजना,
सवाईमाधोपुर।

विषयः– Diversion of 8.5635 ha. forst land for "Construction of Widening, Strengthening on Kranapur Mandrail -Ond-Chandelipura Road (MDR-3A) From Kranpur MDR-3A KM Stone No-00.00 to MDR-3A KM Stone No-34.00, Tehsil–Mandrail, District -Karauli. (Proposal No.- FP/RJ/ROAD/148609/2021)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा ऑनलाईन प्रेषित प्रस्ताव का परीक्षण उपरांत निम्नांकित बिन्दुओं पर सूचनाएँ/स्पष्टीकरण अभी भी दिया जाना अपेक्षित हैः–

1. मुख्य वन संरक्षक द्वारा आलोच्य प्रकरण में अभिशंषा नही (Not recommended) की गयी है जिसके कोई स्पष्ट कारणों का भी उललेख नही किया गया है।
2. आलोच्य प्रकरण में उप वन संरक्षक बफर करौली के अतिरिक्त राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य, सवाई माधोपुर का क्षेत्र भी पडता है जिसे प्रस्ताव में सम्मिलित नही किया गया है। उप वन संरक्षक राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य, सवाई माधोपुर को भी शामिल किया जाना प्रस्तावित है।
3. प्रस्तावित वन क्षेत्र रणथम्भौर बाघ परियोजना के क्रिट्रीकल टाइगर हैबीटाट का हिस्सा है जिसका उल्लेख पार्ट–। में संलग्न मेप/के0एम0एल0 फाइल एवं पार्ट ।। में उप वन संरक्षक के स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में नही किया गया है।
4. उक्त प्रस्ताव पूर्व निर्मित सडक के चौडाईकरण का है उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में उक्त सडक में 15 वर्ष पूर्व वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उलंघन पाया गया है। पूर्व में भारत सरकार द्वारा उक्त सडक के निर्माण हेतु सैद्वान्तिक स्वीकृति जारी की गयी थी जिसकी पालना यूजर ऐजेन्सी द्वारा आ दिनांक तक नही की गयी है। उप वन संरक्षक द्वारा इस संबंध में की गयी कार्यवाही से अवगत करावे एवं स्पष्ट करे कि पूर्व का क्षेत्र भी इसी में सम्मिलित कर लिया गया है। प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 की मार्गदर्शिका 2019 के पैरा 1.21 के अनुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।
5. यूजर ऐजेन्सी द्वारा पूर्व निर्मित रोड की चौडाईकरण करने के तकनीकि और सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से कोई ठोस कारण नही दिये गये है।
6. प्रस्तावित वन भूमि आर0टी0आर0 बफर क्षेत्र एवं अभयारण्य का हिस्सा है जबकि यूजर ऐजेन्सी द्वारा अभी तक वन्यजीव स्वीकृति का आवेदन ही प्रस्तुत नही किया गया है। जो आवयश्क है।
7. डिजीटल लेयर के अनुसार प्रस्तावित गैर वन भूमि रणथम्भौर टाइगर रिजर्व का हिस्सा है।उप वन संरक्षक के स्तर पर परीक्षण किया जाना प्रस्तावित है।
8. प्रकरण में प्रस्तावित वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि को जिला कलेक्टर द्वारा सेट अपार्ट नही किया गया है।
9. उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट ।। में वन्यजीव विवरण सही नही भरा गया है।
10. उप वन संरक्षक द्वारा प्रेषित क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना निर्धारित मॉडल दर पर नही है।
11. एरिया केलकुलेशन शीट में प्रस्तावित वन/गैर वन भूमि अभयारण्य क्षेत्रवार नही दी गयी है।
12. उप वन संरक्षक द्वारा गैर वन भूमि का स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न नही किया गया है।
13. उप वन संरक्षक द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के नोटिफिकेशन की प्रतियां संलग्न नही की गयी है।

CamScanner

उक्त बिन्दुओं की पालना अपने स्तर, उप वन संरक्षक/यूजर ऐजेन्सी से कराया जाकर सूचना शीघ्र इस कार्यालय में भिजवाने का श्रम करावे।

आक्षेप सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

क्रमांकः एफ. 14(PWD)2021/एफसीए/प्रमुवसं./ 7684-85 दिनांक 4/10/2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक द्वितीय, रणथम्भौर बाघ परियोजना, करौली।
2. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जेकब रोड़, जल महल होटल के पास, जयपुर।

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

and U/A to ... what req. | EDS raised.
PA
4/X/2023